ISSN : 2348-1757
Indian Journal of Dalit and Tribal Studies (IJDTS)
Volume-7, Issue-2, July-Dec. 2019, pages 110-118

मीडिया और डॉ अम्बेडकर

*** डॉ. रतन लाल**

डॉ. अम्बेडकर बहुयायामी विद्वान और एक दूरदर्शी संस्था-निर्माता थे। डॉ. अम्बेडकर को कई तरीके से पढ़ा जा सकता है। प्रस्तुत लेख में डॉ. अम्बेडकर के विचारों के जरिए वर्तमान समय में मीडिया की भूमिका की पड़ताल करने का प्रयास किया गया है।

डॉ. अम्बेडकर के जमाने में प्रिंट और रेडियो ही मीडिया के प्रमुख साधन थे। लेकिन आज मीडिया का संसार काफी व्यापक है–प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सिनेमा, और इसके अलावा सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म। सभ्यता के विकास के साथ-साथ संचार के तकनीक में भी लगातार बदलाव देखने को मिलते रहे हैं। जब हम 21वीं सदी की दहलीज पर थे, तब शायद हमने सोचा भी न था कि एक दिन हम अपने छोटे से पॉकेट में पूरे ब्रह्मांड की जानकारी को समाहित कर लेंगे। इन्टरनेट और स्मार्टफोन के मेल ने यह संभव कर दिखाया। इसने न सिर्फ आपसी मेल-मिलाप और संपर्क के दायरे को बढ़ाया है बल्कि सामाजिक-राजनीतिक हलचल पैदा करने में भी इसने अपनी बड़ी भूमिका निभाई है।

मीडिया दावा भी करता है कि वह लोकतंत्र का प्रहरी है, चौथा स्तम्भ है और इस बात का उसे गुमान भी है। वह कहता है–मैं वकील भी हूँ, न्यायाधीश भी हूँ, जानते नहीं मेरी वजह से तुम्हारे अधिकार सुरक्षित हैं, मैं तुम्हारा ऑक्सीजन हूँ, देखा नहीं जेसिका लाल, शिवानी भटनागर, तंदूर कांड, निर्भया मामले जैसे प्रकरणों में मैंने क्या किया, भ्रष्टाचार के मामले में सरकारें उखाड़ी हैं इत्यादि। हालाँकि भ्रष्टाचार के कुछ मामलों, दलितों के प्रति बलवती हिंसा और कुछ अन्य मामलों में यह मौन भी रहता है। दूसरी तरफ विभिन्न शोधों और आँकड़ों के आधार पर यह भी साबित किया गया है कि मीडिया पुरुष सवर्ण हिन्दुओं और अभिजात वर्ग के कब्जे में हैं, जिससे उसका चरित्र भी तय होता है और यह दलित-पिछड़ा विरोधी भी है। मीडिया

*** एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, हिन्दू कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली**

की दुनिया एक यूडल डेमॉक्रैटिक संसार है, जिसे चन्द्रभान प्रसाद India's Upper Caste Republic भी कहते हैं।

2006 में CSDS के सर्वे का निष्कर्ष था कि राष्ट्रीय मीडिया में देश की सामाजिक विविधता की तस्वीर दिखाई नहीं देती है। विभिन्न स्तरों पर जाति, वर्ग, धर्म और महिलाओं के प्रतिनिधित्व का घोर अभाव है। हिन्दू उच्च जाति के पुरुषों का राष्ट्रीय मीडिया पर वर्चस्व है। भारत की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी 8 प्रतिशत है, लेकिन मीडिया संस्थानों में फैसले लेने वाले पदों में 71 प्रतिशत उनके हिस्से आता है। दलित और आदिवासी फैसले लेने वाले पदों पर नहीं हैं। राष्ट्रीय मीडिया के 315 प्रमुख पदों पर एक भी दलित/आदिवासी नहीं हैं। व्ठ की संख्या पूरी आबादी का 43 प्रतिशत है, परन्तु मीडिया में इनकी हिस्सेदारी चार प्रतिशत है। मुस्लिम 13. 4 प्रतिशत है, पर उनका प्रतिनिधित्व तीन प्रतिशत है। ईसाईयों की स्थिति बेहतर है, विशेषकर अंग्रेजी मीडिया में, वे जनसंख्या के दो प्रतिशत हैं, पर मीडिया में चार प्रतिशत पद उनके हिस्से है। स्त्रियों की स्थिति भी थोड़ी बेहतर है, 17 प्रतिशत प्रमुख पदों पर महिलाएँ हैं। अंग्रेजी मीडिया में अपेक्षाकृत स्त्रियों की भागीदारी ठीक है और अंग्रेजी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्त्रियों की भागीदारी संतोषजनक है। सिर्फ प्रतिनिधित्व और स्वामित्व ही नहीं, रिसोर्स पर्सन से लेकर खबरों की रिपोर्टिंग तक में भेदभाव है। ताजा आँकड़ों के हिसाब से लगभग पूरा मीडिया ब्राह्मण-बनिया अलायन्स के पास है। अभी चल रहे कोरोना संकट को मीडिया ने जिस तरह से हिन्दू-मुस्लिम डिबेट में तब्दील किया है, वह लोकशाही के कथित चौथे खंभे के चरित्र को समझने के लिए पर्याप्त है।

मीडिया पर ब्राह्मणों/सवर्णों का पारंपरिक प्रभुत्व रहा है। यह अकारण नहीं है कि अम्बेडकर को अपनी बात और विचार जनता तक पहुँचाने के लिए लोकभाषा में कई पत्र निकालने पड़े - मराठी साप्ताहिक मूकनायक (1920), बहिष्कृत भारत (मराठी 1924), समता (1928), जनता (1930), आम्ही शासनकर्ती जमात बनणार (हम शासक कौम बनेंगे 1940), प्रबुद्ध भारत (1956)। उन्होंने न केवल मीडिया प्रकाशनों की शुरुआत की, बल्कि उनका संपादन किया, सलाहकार के तौर पर काम किया और मालिक के तौर पर उनकी रखवाली की। अम्बेडकर ने अपने सामाजिक/राजनीतिक आन्दोलन को मीडिया के माध्यम से भी चलाया और अछूतों के अधिकारों की आवाज उठाई।

अछूतों के उद्धार और हक-हकूक का काम अम्बेडकर को अमूमन अकेले अपने बूते ही करना पड़ता था। कांग्रेस के समृद्ध सामाजिक-आर्थिक आधार और समर्थन की तुलना में अम्बेडकर के पास कुछ भी नहीं था। अम्बेडकर का आन्दोलन गरीब जनता और हाशिए पर धकेले गए वैसे लोगों का आन्दोलन था, जो तमाम अधिकारों से वंचित, बंधुआ मजदूर और आर्थिक रूप से सबसे कमजोर थे। नतीजतन अम्बेडकर को सामाजिक आन्दोलनों के बोझ को स्वयं अपने कंधों पर उठाना पड़ा। अम्बेडकर की पत्रकारिता का अध्ययन करने वाले गंगाधर पंतवाने ने लिखा है, ''मूकनायक का उदय, भारत के अछूतों के स्वाधीनता आन्दोलन के लिए वरदान साबित हुआ था। इसने अछूतों की दशा-दिशा बदलने वाला विचार जनता के बीच स्थापित किया।''[2]

मूकनायक, डॉ. अम्बेडकर द्वारा स्थापित पहली पत्रिका थी। तिलक केसरी नामक समाचार-पत्र निकालते थे। केसरी में पूरे विज्ञापन शुल्क के साथ मूकनायक का विज्ञापन छापने के लिए अनुरोध किया गया, लेकिन तिलक ने इन्कार कर दिया। मूकनायक के संपादक पी. एन. भाटकर थे, जो महार जाति के थे और कॉलेज तक की शिक्षा प्राप्त की थी। मूकनायक के पहले तेरह संपादकीय लेख अम्बेडकर ने लिखे. पहले लेख में अम्बेडकर ने हिन्दू समाज के लिए ऐसी बहुमंजिला ईमारत की उपमा दी, जिसमें न तो कोई सीढ़ी है न कोई प्रवेश द्वार। सभी को तय माले में जीना और मरना है, जिसमें वे जन्मे हैं।[3]

हार्वर्ड केनेडी स्कूल के शोरेन्सटीन सेंटर ऑन मीडिया, पॉलिटिक्स ऐंड पब्लिक पॉलिसी के फेलो और अम्बेडकर पर शोध कर रहे सूरज येंगड़े ने लिखा है कि अम्बेडकर की बातों और गतिविधियों को उनके दौर का मीडिया प्रमुखता से प्रकाशित करता था। उनके कामों को घरेलू ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी जाना-माना जाता था। हमें भारत के मीडिया में अम्बेडकर की मौजूदगी और उनके संपादकीय कामों की जानकारी तो है। लेकिन विदेशी मीडिया में भी उन्हें व्यापक कवरेज मिलती थी, ये बात ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम है। बहुत से मशहूर अंतरराष्ट्रीय अखबार, डॉक्टर अम्बेडकर के छुआछूत के खिलाफ अभियानों और गांधी से उनके संघर्षों में काफी दिलचस्पी रखते थे। लंदन का 'द टाइम्स', ऑस्ट्रेलिया का 'डेली मर्करी', 'न्यूयॉर्क टाइम्स', 'न्यूयॉर्क ऐम्सटर्डम न्यूज', 'बॉल्टीमोर ऐरो-अमेरिकन', 'द नॉरफॉक जर्नल' जैसे अखबार अपने यहाँ अम्बेडकर के विचारों और अभियानों को प्रमुखता से प्रकाशित करते थे। इसके अलावा अमरीका के अश्वेतों द्वारा चलाए जाने वाले कई

समाचार-पत्र-पत्रिकाएँ अम्बेडकर के विचारों और आन्दोलनों को अपने यहाँ जगह देते थे। भारत के संविधान के निर्माण में अम्बेडकर की भूमिका हो या फिर संसद की परिचर्चाओं में अम्बेडकर के भाषण, या फिर नेहरू सरकार से अम्बेडकर के इस्तीफे की खबर, इन सब पर दुनिया बारीकी से नजर रखती थी।

बहरहाल, मीडिया के चरित्र पर 18 जनवरी 1943 को पूना के गोखले मेमोरियल हॉल में महादेव गोविन्द रानाडे के 101वीं जयंती समारोह में 'रानाडे, गाँधी और जिन्ना' शीर्षक से दिया गया अम्बेडकर का व्याख्यान महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, ''मेरी निंदा कांग्रेसी समाचार-पत्रों द्वारा की जाती है। मैं कांग्रेसी समाचार-पत्रों को भली-भाँति जनता हूँ। मैं उनकी आलोचना को कोई महत्व नहीं देता। उन्होंने कभी मेरे तर्कों का खंडन नहीं किया। वे तो मेरे हर कार्य की आलोचना, भर्त्सना व निंदा करना जानते हैं। वे तो मेरी हर बात की गलत सूचना देते हैं, उसे गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं और उसका गलत अर्थ लगाते हैं। मेरे किसी भी कार्य से कांग्रेसी-पत्र प्रसन्न नहीं होते। यदि मैं कहूँ कि मेरे प्रति कांग्रेसी पत्रों का यह द्वेष व बैर-भाव अछूतों के प्रति हिन्दुओं के घृणा भाव की अभिव्यक्ति ही है, तो अनुचित नहीं होगा. उनका यह द्वेष मेरे प्रति व्यक्तिगत हो गया है, यह इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता कि कांग्रेसी पत्रों को तब भी कष्ट होता है, जब मैं उस जिन्ना की आलोचना करता हूँ, जो विगत अनेक वर्षों से कांग्रेस की आलोचना का विषय तथा लक्ष्य रहा है। कांग्रेसी पत्र इन गालियों की बौछार मुझ पर करते हैं। वे कितनी भी तीखी या गंदी क्यों न हों, मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है। मैं मूर्तिपूजक नहीं हूँ। मैं तो मूर्तिभंजक हूँ। मेरा आग्रह है कि मैं यदि श्री गांधी तथा श्री जिन्ना से घृणा करता हूँ .....तो उसका कारण यह है कि मैं भारत से अधिक प्रेम करता हूँ। यह एक राष्ट्रवादी की सच्ची निष्ठा है। मुझे आशा है कि मेरे देशवासी किसी न किसी दिन यह सीख लेंगे कि देश, व्यक्ति से कहीं महान होता है। श्री गाँधी या जिन्ना की पूजा और भारत की सेवा में आकाश-पताल का अंतर है और वे परस्पर विरोधी भी हो सकती हैं।''[4] आज जिस तरीके से संचार के विभिन्न साधन व्यक्ति पूजा को बढ़ावा देने और सरकार की आलोचना को राष्ट्र की आलोचना साबित करने में लगे हैं या राजनीतिक दलों के प्रवक्ता की तरह काम कर रहा है, साफ हो जाता है कि अम्बेडकर के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। यदि आज अम्बेडकर होते तो जिन्ना, गाँधी और कांग्रेस की बजाय उनके निशाने पर कोई और व्यक्ति, राजनीतिक दल या सामाजिक संगठन होते।

'विदेशियों से आग्रह' शीर्षक अपने लेख में अम्बेडकर ने अस्पृश्यों के जीवन और आन्दोलन में प्रेस की भूमिका और सीमाओं को रेखांकित किया। उन्होंने लिखा, ''भारत के बाहर के लोग विश्वास करते हैं कि कांग्रेस ही एकमात्र संस्था है, जो भारत का प्रतिनिधित्व करती है, यहाँ तक कि अस्पृश्यों का भी। इसका कारण यह है कि अस्पृश्यों के पास अपना कोई साधन नहीं है, जिससे वे कांग्रेस के मुकाबले में अपना दावा जता सकें। अस्पृश्यों के इस कमजोरी के और भी कई कारण हैं। अस्पृश्यों के पास अपना कोई प्रेस नहीं है। कांग्रेस का प्रेस उनके लिए बंद हैं। उसने अस्पृश्यों का रत्ती-भर भी प्रचार न करने की कसम खा रखी है। अस्पृश्य अपना प्रेस स्थापित नहीं कर सकते। यह स्पष्ट है कि कोई भी समाचार-पत्र बिना विज्ञापन राशि के नहीं चल सकता। पैसा केवल व्यावसायिक विज्ञापनों से आता है। चाहे छोटे व्यवसायी हों या बड़े, वे सभी कांग्रेस से जुड़े हैं और गैर-कांग्रेसी संस्था का पक्ष नहीं ले सकते। भारत की समाचार एजेंसी, एसोसिएटेड प्रेस, का स्टाफ सम्पूर्ण रूप से मद्रासी ब्राह्मणों से भरा पड़ा है। वास्तव में भारत का सम्पूर्ण प्रेस उन्हीं की मुट्ठी में है और वे पूर्णतया कांग्रेस के पिट्ठू हैं, जो कांग्रेस के विरुद्ध किसी समाचार को नहीं छाप सकता। यही कारण है कि प्रेस अस्पृश्यों की पहुँच के बाहर हैं, परंतु किसी हद तक स्वयं अस्पृश्यों में प्रचार करने की प्रवृति का न होना भी एक कारण है। प्रचार करने की प्रवृति का न होना, उनकी देशभक्ति के कारण भी है कि कहीं ऐसा न हो कि कोई ऐसी बात हो जाय, जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आ जाय।''[5]

अम्बेडकर के उपरोक्त विचारों के सन्दर्भ में जरा आज सरकार, पूंजीपति और मीडिया के रिश्तों पर गौर करें। चार सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्रों में से तीन के मालिक वैश्य हैं और एक का ब्राह्मण परिवार। द टाइम्स समूह (बेनेट कोलमन कंपनी लिमिटेड) भारत की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी है, जिसका मालिक एक जैन (बनिया) परिवार है। द हिन्दुतान टाइम्स के मालिक भारतीय हैं, जो मारवाड़ी बनिया हैं। दि इंडियन एक्सप्रेस के स्वामी गोयनका हैं, वे भी मारवाड़ी बनिया हैं। द हिन्दू का स्वामित्व एक ब्राह्मण परिवार के पास है। भारत की सर्वाधिक बिकने वाली हिन्दी समाचार-पत्र दैनिक जागरण का स्वामित्व कानपुर के एक गुप्ता परिवार के पास है। प्रभावशाली हिन्दी अखबार दैनिक भास्कर का स्वामित्व एक अग्रवाल परिवार के पास है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक मुकेश अम्बानी एक गुजराती बनिया हैं, जिनके पास 27 बड़े राष्ट्रीय और क्षेत्रीय टीवी चैनलों के इतने शेयर हैं कि

उनपर अम्बानी का नियंत्रण हो चुका है। सबसे बड़े राष्ट्रीय टीवी समाचार और मनोरंजन नेटवर्क जी टीवी नेटवर्क के मालिक सुभाष चंद्रा हैं और वे भी एक बनिया हैं। दक्षिण भारत में स्थिति कुछ अलग है। ईनाडु समूह कई समाचार-पत्रों सहित दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी, दर्जन भर टीवी चैनलों तथा अन्य संस्थाओं के मालिक हैं, इसके मुखिया रामोजी राव हैं जो आंध्रप्रदेश की एक किसान जाति कम्मा से हैं। एक अन्य बड़े मीडिया घराने, सन टीवी, का मालिक मारन परिवार है जो पिछड़ी जाति से हैं।[6]

राजनीतिक दल, पूंजीपति और सत्ता के बीच जो सम्बन्ध अम्बेडकर के समय थे, वही आज भी हैं। यदि आज अम्बेडकर होते तो उनकी समालोचना का विषय मीडिया घराने, सरकार और बीजेपी होते। अस्पृश्यों के बारे में भी अम्बेडकर ने दिलचस्प सूचना दी है। आज भी मंदिर-मस्जिद, शमशान-कब्रिस्तान, हर-हर घर-घर जैसे नारे और मुद्दे उनके बीच बेहद लोकप्रिय हैं, भले ही निजीकरण और सरकार की नीतियों की वजह से उनके संवैधानिक अधिकार खत्म होते जा रहे हों।

अप्रैल 1946 में कलकत्ता के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस के कर्मचारियों की हड़ताल हुई। उस समय अम्बेडकर भारत सरकार में श्रम मंत्री थे। श्रम मंत्री के रूप में डॉ. अम्बेडकर ने विधान सभा में कहा, कलकत्ता के प्रेस के कर्मचारियों ने 13 मार्च को हड़ताल की सूचना दी थी। ऐसी सूचनाएँ विभिन्न स्थानों पर चल रहे भारत सरकार के प्रेसों ने भी दी थी। कलकत्ता के कर्मचारियों ने 13 माँगों की एक सूची भी भेजी थी। सरकार ने उन सब पर विचार किया और निम्नलिखित रियायतें दीं। जिन दिनों प्रेस का राजपत्रित अवकाश होता है उन दिनों में काम करने पर पूरक अवकाश, आंशिक कर्मचारियों की दक्षता-अवरोध पार करने पर पदोन्नति, पिछली तिथि से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता, पहली जनवरी 1945 के बजाय पहली जुलाई 1944 से पेंशन की गणना में आधा महंगाई भत्ता शामिल, छोटे कर्मचारियों को औसत वेतन की आधी तक पेंशन, हड़ताल की पूरी अवधि को औसत वेतन वृद्धि सहित छुट्टी की स्वीकृति और उसे अनिश्चित दशा में समझ कर छुट्टी में जोड़ना, प्रेस कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों की विसंगतियों पर रिपोर्ट देने के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति, पारी पर काम करने वालों के काम के घंटो में कमी करके 48 के बजाय 44 करना और रात्रि में काम करने पर 44 की जगह 38 घंटे करना, आंशिक कर्मचारियों को 23 दिन का सवेतन अवकाश जैसा कि वेतनभोगियों को मिलता है। अन्य माँगों

के बारे में, जैसे वेतनमानों में संशोधन और रियायती दरों में वृद्धि के विषय में, सरकार ने सभी कर्मचारियों को सूचित कर दिया है कि जब तक वेतन आयोग की रिपोर्ट आये तब तक वे लंबित रहेंगी और इसलिए फिलहाल सरकार इस स्थिति में नहीं है कि वह माँगों के विषय में कोई घोषणा करे...दिल्ली प्रेस के कर्मचारियों ने ये रियायतें स्वीकार कर ली हैं और वे काम पर लौट आये हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता कि ऐसा ही रवैया कलकत्ता प्रेस के कर्मचारियों ने क्यों नहीं अपनाया। मुझे कार्यालय से अभी पता चला है जिस माँग पर वे तत्काल बल दे रहे हैं वह है काम के घंटों में और कमी करके 44 के बजाय 40 घंटे करना। मैं तुरंत निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता, परन्तु यह ऐसा विषय है जिस पर मैं विचार कर सकता हूँ। मेरा विचार है कि इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर बहस से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती।[7]

श्रम मंत्री बनने से पूर्व अम्बेडकर स्वयं श्रमिक आन्दोलन, संगठन और दल से जुड़े थे। श्रमिक वर्ग की समस्यायों पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण व्याखान भी दिए थे। अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पत्रकारों की समस्या का समाधान करने की कोशिश की।

ऑल इंडिया शिड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन ने जनवरी 1945 में अपने साप्ताहिक मुख-पत्र 'पीपल्स हेरल्ड' की शुरुआत की। इस पत्र का मुख्य उद्देश्य अस्पृश्यों की आकांक्षाओं, वाजिब माँगों, शिकायतों को स्वर देने के साथ-साथ उस समय भारत जिन समस्यायों का सामना कर रहा था उन्हें स्वर देना था। इस पत्र के उद्घाटनकर्ता की हैसियत से बोलते हुए अम्बेडकर ने कहा, ''आधुनिक प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में अच्छी सरकार के लिए समाचार-पत्र मूल आधार है। इसलिए भारत के अनुसूचित जाति के अतुलनीय दुर्भाग्य और दुर्दशा, जिसे खत्म करने के लिए हम सब प्रयासरत हैं, तब तक सफलता नहीं मिल सकती जब तक 8 करोड़ अस्पृश्यों को राजनीतिक रूप से शिक्षित न कर लें। यदि विभिन्न विधान सभाओं के विधायकों के व्यवहार कि रिपोर्टिंग करते हुए समाचार-पत्र लोगों से कहे कि विधायकों से पूछो ऐसा क्यों है, कैसे हुआ, तब मेरे दिमाग में कोई दुविधा नहीं है कि विधायकों के व्यवहार में बड़ी तब्दीली आ सकती है और वर्तमान दुर्व्यवस्था, जिसके भोगी हमारे समुदाय के लोग हैं, रुक सकता है। इसलिए मैं इस समाचार-पत्र को एक वैसे साधन के रूप में देख रहा हूँ। जो वैसे लोगों का शुद्धिकरण कर सकता है जो अपने राजनीतिक जीवन में गलत दिशा में गए हैं।''[8]

1937 के विधान सभा चुनाव में मराठी समाचार-पत्र की भूमिका का हवाला देते हुए अम्बेडकर ने सुझाव दिया, "समाचार-पत्र न केवल मतदाताओं को प्रशिक्षित करते हैं बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि जिसे उन्होंने अपने मत से चुना है, वे उनके साथ खड़े हैं, अपना कर्तव्य ठीक ढंग से निभा रहे हैं और किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं कर रहे।"[9] पीपल्स हेरल्ड को अपने लक्ष्य की प्राप्ति की शुभकामना देते हुए और अपना अनुभव साझा करते हुए उन्होंने आगे कहा, "मैं सोलह वर्षों तक बॉम्बे में एक साप्ताहिक का संपादन किया है। इस पत्र ने जो व्यापक प्रभाव उत्पन्न किया, उसका प्रमाण बॉम्बे के विधान सभा चुनाव में दिखा, जिसमें मैंने सभी समुदायों का वोट प्राप्त कर कांग्रेस के अपने प्रतिस्पर्धी को हराया।"[10] अर्थात् उनकी जीत में इस पत्र द्वारा उत्पन्न किए गए राजनीतिक प्रभाव की अहम भूमिका रही।

अम्बेडकर के जमाने से लेकर अब तक मीडिया की दुनिया में बहुत कुछ बदल चुका है। लेकिन, बहुत कुछ यथावत भी है। उत्तर-अम्बेडकर काल में कांशीराम ने उनके आन्दोलन को आगे बढ़ाते हुए अपने संगठन और दल के लिए कई पत्र निकाले। आज भी व्यक्तिगत प्रयास से कुछ व्यक्ति और संगठन छिटपुट पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित कर रहे हैं। युवा दलित उद्यमियों ने अपने व्यक्तिगत प्रयास से अनगिनत सोशल मीडिया पेज, ट्विटर, फेसबुक ग्रुप, यू-ट्यूब चैनल, वीडियो ब्लॉग और चिट्ठे चला रहे हैं। हालाँकि कुछ व्यावसायिक और तकनीकी कमियाँ भी हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि सैकड़ों दलित करोडपति और उनके संगठन डिक्की, सैकड़ों विधायक/ सांसद/मंत्री, दर्जनों ताकतवर राष्ट्रीय नेताओं, हजारों नौकरशाहों के होने के बावजूद आज मुख्यधारा में ऐसा कोई अंग्रेजी अखबार नहीं है, जो दलितों और पिछड़ी जातियों से जुड़े अन्य मुद्दों पर बाकी भारतीय आबादी से संवाद कर सके, दलितों की विश्व दृष्टि की नुमाइंदगी का दावा कर सके। यह काफी हद तक उत्तर-अम्बेडकर, उत्तर-कांशीराम युग के दलित नेतृत्व के विजन की सीमाओं को भी दर्शाता है।

संदर्भ :

1. देखें, अरुंधति रॉय, एक था डॉक्टर एक था संत, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2019, पृष्ठ 27-28
2. जी. पंतवाने, पत्रकार डॉक्टर बाबासाहेब अम्बेडकर, पृष्ठ 72
3. देखें, अरुंधति रॉय, एक था डॉक्टर एक था संत, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2019, पृष्ठ 102

4. देखें, बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वांग्मय, खंड 1, 250-51, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस, खंड 1, पृष्ठ 207-09
5. देखें, बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वांग्मय, खंड 16, पृष्ठ 210, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस, खंड 9, पृष्ठ 200
6. देखें, अरुंधति रॉय, एक था डॉक्टर एक था संत, पृष्ठ 27-28
7. देखें, बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वांड्मय, खंड 18, पृष्ठ 331, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस खंड 10, पृष्ठ 365
8. डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस, खंड 17, भाग तीन, पृष्ठ 348-49
9. वही
10. वही

*****